GAD Forms (W) 1

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०13 - २014

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... डॉ॰ बी॰एल॰ बिलवे ... 2. वर्तमान धारित पद ... प्राचार्य ... 31 दिस. 2012

3. वर्तमान वेतन 59570 + D.A अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... ~~जुलाई 2013~~ ~~31 दिसम्बर 2012~~ 1.07.2013

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, चंदा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
खरगोन (म.प्र.) नारायणपुरा कॉलोनी खरगोन	गृह	—	0.75 करोड़ 25 लाख (पच्चीस लाख) रुपये मात्र.	स्वयं के नाम	खरीदा गया	निरंक	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान निर्माण के सम्बन्ध में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें आभूषणादि भेंटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक भावी महीने की जनवरी के पश्चात् एक [illegible] प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर भेंटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित संपत्ति अथवा सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर .....

नाम डॉ॰ बी॰ एल॰ बिलवे

पद प्राचार्य

GAD Forms (RT) 1

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 31 दिस. 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो गिरिजेन्द्र सिंह चौहान 2. वर्तमान धारित पद सहा. प्राध्यापक

3. वर्तमान वेतन 37400 – 67000 + 9000 NPA अपनी वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2013

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सरकारी कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) खरगोन	घर	–	25 लाख	स्वयं के नाम पर	शासन से अनुमति प्राप्त कर अपने निजी व्यय से	NIL	
(2) ग्राम अमलाया तालुका सेंधवा जिला खरगोन	–	कृषि भूमि 8.60 एकड़	20 लाख	पत्नी के नाम	पैतृक सम्पत्ति की आमदनी से	2 लाख	–

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में सामान्य मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अलंकारादि गहने भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश राजपत्रित सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रत्येक ऐसा राजपत्रित सेवक जो प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र पेश या प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर गहने या बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर .....

नाम डॉ. जी. एस. चौहान

पद सहा. प्राध्यापक

GAD Forms (W) 1

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है: रामराम साकले सहा. प्रोग्रा. 2. वर्तमान धारित पद: सहायक प्रोग्रामर (राजनीतिशास्त्र)

3. वर्तमान वेतन: 43820/+ 9000 तिमाही वेतनवृद्धि की तारीख ... ~~01.07.2012~~ ~~01 जनवरी 2012~~ 1.7.2013

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका कार्यालय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिशुल्कित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम अंजड़ तह. अंजड़ जिला बड़वानी (म.प्र.)	गृह	—	लगभग 15,000000/- (पन्द्रह लाख +00)	स्वयं के नाम से	बैंक से गृह ऋण एवं वेतन से बचत कर। गोविंद-पिताजी पारिवार अंजड़ मार्च 2011	— nil —	—

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : सर्वसेवा शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 16(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र या वर्ष प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित जंगम अथवा सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: [signature]

नाम: रामराम साकले

पद: सहा. प्रोग्रामर (राजनीतिशास्त्र)

GAD Forms (W) 1

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: चि० छितुसिंह चौहान 2. वर्तमान पदवी पर: सहायक प्राध्यापक

3. वर्तमान वेतन 15600 - 39100 अगली वेतनवृद्धि की तारीख .....

उस जिले, उप संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर पंजीत है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	***उसे किस प्रकार अर्जित किया गया		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				संपत्ति से वार्षिक आय	अधिशुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम - बेकल्या तह. - कुक्षी जिला. धार (म.प्र.)	~~पैतृक मकान~~	~~पैतृक~~ कृषि	3 लाख	पिताजी के नाम पर	विरासत	1 लाख पचास हजार	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में सावधान मूल्य आंकलन करें।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1965 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी [illegible] के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह [illegible] कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्थापित को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके [illegible] किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे पर संपत्ति या उसके द्वारा धारित समस्त अथवा सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर .....

नाम चि० छितुसिंह चौहान

पद सहायक प्राध्यापक

GAD Forms (W) I

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विजय सिंह मण्डलोई 2. वर्तमान पदवी पद सहायक प्राध्यापक (इंजिनियर)

3. वर्तमान वेतन 15600-39100 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ....

Agp 6000

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर स्थित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला खरगोन म०प्र०	भवन 1	×	18 लाख रु	विजय सिंह मण्डलोई एवं स्नेहलता मण्डलोई (पत्नी)	खरीदी गयी	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें आभूषणों पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रत्येक कर्मचारी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक साल महीने की अवधि के भीतर, यह घोषणा-पत्र या पत्र प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्थानिक को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर .....

नाम विजय सिंह मण्डलोई

पद सहायक प्राध्यापक (इंजि.)

शा. महा वि० कसरावद जि. खरगोन

GAD Forms (W) 1

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : रोशिया ताकुर ..... 2. कार्यालय जहाँ पद : सहा. लेखापाल दिल्ली

3. कार्मिक सेवन ..... अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख ...1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि सम्पत्ति के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सरकारी कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				संपत्ति से वार्षिक आय	अभिस्वीकृति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम नेहगांव पो- बेमलवा तह- धमधुरी जिला धार (म.प्र.)	—	शून्य	1000000/-	पिता जिला रतलाम	वैतरक.	50000/-	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां कार्मिक स्थिति के सम्बन्ध में सामान्य मूल्य बतलाया जाए।

*** इसी अलंकारिक पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि उस सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र पेश या प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर .....

नाम रोशिया ठाकुर

पद सहायक लेखापाल (दिल्ली)

31 मार्च 2013

GAD Forms (W) 1

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस बैंक का नाम, जिसमें वह है : गंगाराम सिंघोड ..... 2. वर्तमान धारित पद : सहायक - कॉ - 5

3. मासिक वेतन 5200-20200+ 19000 AGP ... भावी वेतनवृद्धि की तारीख : परिवीक्षा उपरांत

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा		**वर्तमान मूल्य	यदि अर्जन के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सरकारी कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				संपत्ति से वार्षिक आय	अधिभुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्रा० बोरखेड़ी, पो० पाडू बालाघ तहसील - बागली जिला - देवास (म.प्र.)	कच्चा मकान मूल्य 15,000	आधा एकड़	50,000.00		विरासत		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में सरकार मूल्य बतलाएं।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 12(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक माह मार्च की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की उस उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिले या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर ....
नाम : गंगाराम सिंघोड
पद : सहायक ग्रेड - 3

31 मार्च 2013

GAD Forms (W) I

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है परमानन्द बडुकिया 2. वर्तमान पदवी सहायक ग्रेड-3

3. वर्तमान वेतन 5200-20200+ अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1500 Agt परिवीक्षा अवधि

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सरकारी कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम आशापुर (जिरात) तहसील महेश्वर जिला खरगोन	कच्चा मकान मूल्य-10000 आधा पक्का मकान मूल्य-40000	1 एकड़	50000.00	पिता- चन्दरसिंह बडुकिया	विरासत		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान तिथि के सन्दर्भ में सामान्य मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त जंगम सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर परमानन्द बडुकिया

नाम परमानन्द बडुकिया

पद सहायक ग्रेड-3

GAD Forms (W) 1

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (भूत) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : कृष्णा साहू (भृत्य) 2. वर्तमान धारित पद : भृत्य

3. वर्तमान वेतन 4500-7400+1300 अगली वेतनवृद्धि की तारीख .....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो मालूम हो कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामान्य कार्यवाही से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टे, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिभुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम - बफलाँव तह - बड़वाह जिला - खरगोन (म.प्र.)	पैतृक	—	4 लाख	पिता		—	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में सामान्य मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश सरकारी सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी [illegible] प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र [illegible] प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की उक्त प्रकार अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर : [illegible]

नाम : कृष्णा साहू

पद : भृत्य